A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 196-2015/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 23, 2015 (AGRAHAYANA 2, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 नवम्बर, 2015

संख्या का0 आ0 16/42/2005-3 पर्या0 .– चूंकि, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा;

और, चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम 29), की धारा 5 तथा 7 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14), की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन तथा पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए तथा यातायात तथा मानव स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तुरन्त कदम उठाना आवश्यक तथा समीचीन है;

और, चूंकि, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तथा पर्यावरण के गुण को बनाए रखने के लिए तथा क्षेत्र के निवासियों के लिए स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए भी पहले निर्णय लिया हुआ है;

और, चूंकि, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या 16/42/2005–पर्यावरण– III, दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के अनुसार अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों तथा अनुसूची–II के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाओं के बारे में स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

और, चूंकि, राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या का0आ0 64/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा 7 / 2008, दिनांक 23 जुलाई, 2008, द्वारा जारी पूर्वोक्त अधिसूचना मे संशोधन किए हैं,

और, चूंकि, राज्य में स्क्रीनिंग संयन्त्र संघ से स्थल–निर्धारण पैरामीटर मानकों के पुनरीक्षण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

और, चूंकि, राज्य सरकार की राय है कि स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों के बारे स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निर्देश जारी करने हेतु नई अधिसूचना जारी करना आवश्यक तथा समीचीन है;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण विभाग, वन तथा वन्यजीव, अधिसूचना संख्या का0आ0 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1998 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में, तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 16/42/2005–पर्यावरण– III, दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 तथा अधिसूचना संख्या 64/के0अ0 29/1986/धा0 5 तथा

7/2008, दिनांक 23 जुलाई, 2008, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों तथा अनुसूची– II के अनुसार उत्सर्जन मानको तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय की अपेक्षाओं के बारे मे स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं;

और, चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के दृष्टिगत, इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि सरकार द्वारा अधिसूचना के प्रारूप पर प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि की समाप्ति को या के बाद ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों यदि कोई हो सहित, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अधिसूचना के प्रारूप के सम्बन्ध किसी व्यक्ति से प्रधान सूची, हरियाणा संरकार, पर्यावरण विभाग के कार्यालय में प्राप्त किये जायें, पर विचार किया जाएगा;

उपरोक्त निर्दिष्ट अधिक्रमित अधिसूचनाओं के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी जहां तक वह इस अधिसूचना के उपबन्धों के असंगत न हो।

अनुसूची–I

हरियाणा में स्क्रीनिंग संयन्त्रों के स्थल निर्धारण के लिए मानक

क्रम संख्या	मानदण्ड	किलोमीटर में दूरी
1	2	3
1.	निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
2.	निकटतम राज्य राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.10
3.	निकटतम महानगरीय शहर से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	5.00
4.	किसी नगर की नगरपालिका सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
5.	निकटतम नगर आबादी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.50
6.	निकटतम गांव आबादी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
7.	निकटतम पर्यटक काम्पलैक्स से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	1.00
8.	सड़कों, नहरों, रेल लाइनो तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण पट्टी के सिवाए सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित किसी भूमि से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.20
9.	20 किलोलीटर क्षमता वाली खुले आसमान की अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.25
10.	25 या उससे अधिक अन्तरंग रोगियों का प्रबन्ध करने वाली किसी अन्तरंग स्वास्थ्य उपचार इकाई से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.50
11.	अधिसूचित पक्षी/वन्य जीव अभ्यारणों/ राष्ट्रीय या राज्य वन्य जीव पार्कों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी	0.20
12.	नदी या जल सरणी, नाला, जल निकास से न्यूनतम दूरी	0.10
13.	किसी शैक्षिक संस्था से न्यूनतम दूरी	0.50

उपरोक्त अनुसूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी दिए गए हैं।

टिप्पण:

(i) दूरी उन्हीं सिद्धान्तों तथा प्रणाली–विज्ञान का अनुसरण करते हुए मापी जाएगी जो तकनीकी परिस्थिति तथा सुविधा के अनुसार लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सडक विभाग में या राजस्व विभाग में दूरियों को मापने में ग्रहण की जाती है।

(ii) कोई भी स्थल–निर्धारण मानदण्ड निकटतम मुख्य जिला सडकों तथा अन्य सड़कों से सडक की ओर के साथ–साथ धातु सतह से ऊपर बारह फुट ऊँचाई की वायु रोकने वाली दीवार के निर्माण के अध्यधीन दूरी के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(iii) किसी भी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई को चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो उपरोक्त यथा विहित स्थल–निर्धारण मानकों को पूरा नहीं करती हैं। ऐसी स्क्रीनिंग सयन्त्र इकाइयों को जो स्थल–निर्धारण मानदण्ड की निषिद्ध सीमाओं के भीतर हैं, विहित स्थल–निर्धारण दूरियों के अनुरूप क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा।

(iv) फरीदाबाद जिले में किसी भी स्क्रीनिग संयन्त्र इकाई को फरीदाबाद ज़िले मे परिलक्षित क्रैशिंग जोन के बाहर स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(v) अधिसूचित पक्षी/वन्य जीव अभ्यारणों/राष्ट्रीय या राज्य वन्य जीव पार्कों के सम्बन्ध मे क्रम संख्या 11 पर उपरोक्त विहित दूरी केवल उन मामलों में लागू होगी जहा ऐसे मामलों में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी तक ईको–अतिसवेदन शील जोन घोषित या प्रस्तावित नहीं किए गए है।

(vi) यदि संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण या संरक्षण आरक्षित, के ईको–अतिसंवेदन शील जोन को विनिर्दिष्ट दूरी के लिए प्रतिबन्ध करने वाला अधिसूचित किया गया है, तो उसका पालन किया जाएगा।

(vii) स्क्रीनिंग संयन्त्रों को उनके संयन्त्रों में स्टोन क्रैशिंग/चूर–चूर करने/पीसने वाली कोई गतिविधि नहीं चलाई जाएगी।

(viii) नदी के मामले में, दूरी नदी के बाहरी तरफ के बाढ संरक्षण तटबंध से मापी जाएगी। जहां कहीं कोई भी बाढ़ संरक्षण तटबन्ध नहीं है, तो दूरी गैर मुमकिन नदी, चौ या चौ/नदी के बाहरी तरफ के जल निकाय के परिलक्षित समरूप नामावली के रूप में अभिलिखित राजस्व रिकार्ड के अनुसार ''गैर मुमकिन भूमि'' के बाहरी किनारे से मापी जाएगी।

(ix) विभिन्न विहित स्थानों से स्क्रीनिंग सयन्त्र इकाइयों की दूरी सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित की जाएगी तथा वन भूमि के लिए स्थल निर्धारण दूरी के बारे में रिपोर्ट सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी से ली जाएगी। बोर्ड का सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारी मण्डल वन अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापन से भिन्न विहित स्थानों की दूरी सत्यापित करेगा।

अनुसूची II

उत्सर्जन मानक तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय तथा अपेक्षाएं

मद संख्या I

(i) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विहित मानकों के भीतर वायु उत्सर्जन/शोर स्तर तथा बहिःस्राव बहाव रखेंगी।

मद संख्या II

निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र स्क्रीनिग संयन्त्र इकाइयो द्वारा अनिवार्य बाध्यता के अनुसार लगाए जाने तथा संचलित किए जाने अपेक्षित हैं :–

(i) सभी स्कीनिंग संयन्त्र इकाइयां संयन्त्र के परिसरो के भीतर पक्की सडक का निर्माण करेगी;

(ii) स्क्रीनिग संयन्त्र इकाइया अपने कच्चे/संसाधित सामग्री का ढेर केवल स्क्रीनिंग संयन्त्र क्षेत्र में लगाएगी जो उचित रूप से परिलक्षित तथा अधिमानतः दीवार से बन्द होगा;

(iii) धूल रोकने के लिए स्क्रीनिंग संयन्त्र के परिसरों के भीतर भूमि तथा ऐसे स्क्रीनिंग संयन्त्र की मुख्य सडक की नियमित सफाई करना तथा गीला करना;

(iv) सभी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां में सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के अनुमोदन के बाद दो कतारों की पौधारोपण वृक्षवीथि वाली परिधि के साथ हरित पट्टी मुहैया कराई जाएगी। परिसरों के भीतर पौधारोपण के सम्पूर्ण रूप से विकसित होने तक, परियोजना प्रस्तावक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए परिधि के साथ अवरोध/रूकावट का निर्माण किया जाएगा। ऐसी रूकावट या तो चार दीवारी या लचीला कपड़ा (तारपोलिन इत्यादि) या दोनों का संयोजन द्वारा सभी तरफ से परिसरों के पूर्णरूप से संलग्न की जानी चाहिए तथा जो बन्द किया जाएगा। रूकावट की ऊँचाई वाहक पट्टे के उच्चतम सिरे की ऊँचाई से कम नहीं होगी।

(v) स्क्रीनिंग संयन्त्र द्वारा उत्पन्न गाद का नीचे के क्षेत्रों में वैज्ञानिक रूप से निपटान किया जाएगा तथा स्क्रीनिंग संयन्त्र का स्वामी उसके लिए उचित योजना बनाएगा।

(vi) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयां सुनिश्चित करेगी कि स्क्रीनिंग/संसाधन के लिए प्राप्त सामग्री अनुमोदित खनन पट्टा धारकों से लायी गई है जहां निष्कर्षण यथा लागू तथा सक्षम प्राधिकारी/खान तथा भू-विज्ञान विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना/ खनन की स्कीम या खनन संविदा के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार किया गया है। स्वामी स्थापना की सहमति/चलाने की सहमति के लिए आवेदन करते समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को इस आशय का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(vii) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाइयों द्वारा युक्तियुक्त रूप से प्रयुक्त तथा शोषित कच्ची सामग्री के स्रोत तथा मात्रा तथा देशविधि के अधीन उस पर यथा लागू इसके उत्पादन डाटा, भुगतान करों तथा शुल्कों से भी सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(viii) प्रत्येक स्क्रीनिंग संयन्त्र हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना सहमति प्राप्त करेगा तथा बोर्ड से चलाने की सहमति प्राप्त किए बिना संचालन नहीं करेगा।

(ix) इकाई की स्थाई बन्दी के मामले में क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति मे बहाल करना चाहिए।

(x) स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई उत्पादन शुरू करने से पहले उचित पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण उपाय मुहैया करेगी।

(xi) स्क्रीनिंग संयन्त्र प्रक्रिया से उत्पन्न बहिःस्राव में प्रलबित (निलम्बित) ठोस पदार्थ के तलछट के लिए विस्तारित निथार टेंकी (3 नम्बर) द्वारा संरचनात्मक रूप से सही तथा उपयुक्त मुहैया करेगा तथा प्रक्रिया में 90 प्रतिशत तक उपचारित जल की रिसाईक्लिंग/पुनः प्रयोग सुनिश्चित करेगा।

(xii) अति संवेदनशील जोनों के लिए शोर के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुण के लिए स्क्रीनिंग संयन्त्र पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन विहित मानकों को पूरा करने के लिए ध्वनि सवेष्ठन सहित पर्यावरण रूप से सही प्रौद्योगिकी पर आधारित उपयुक्त प्रदूषण नियन्त्रण माप/यन्त्र मुहैया करेगा।

मद संख्या – III

प्रत्येक स्क्रीनिंग संयन्त्र स्क्रीनिंग संयन्त्र स्वामी द्वारा स्वामित्वाधीन प्रत्येक स्क्रीनिंग संयन्त्र चलाने के लिए कम से कम एक एकड़ भूमि (1.0 एकड़) का कब्जे में रखना हो या अपने पक्ष में कम से कम पांच वर्ष का सम्यक रूप से रजिस्टर्ड पट्टा रखता हो।

मद संख्या IV

(i) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सहित किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विद्यमान वैधानिक उपबन्धो तथा किसी प्रशासकीय आदेशों के बीच किसी विरोध के मामले में, वैधानिक उपबन्ध लागू होगें।

(ii) किसी अन्य कारण के प्रतिकूल का ध्यान किए बिना, किसी भी स्क्रीनिंग संयन्त्र इकाई को चाहे विगत में या भविष्य में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, खान तथा भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा, वन विभाग, हरियाणा या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण इत्यादि सहित सक्षम विधायी प्राधिकरण या विहित प्राधिकरण द्वारा यथा लागू या विहित के किसी अन्य लागू विधिक निर्वन्धनों, विधायी कानून तथा नियमो उल्लघन में चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा स्थापना के सहमति प्रमाणपत्र को जारी करना किसी ऐसे वैधानिक विधिक अधिसूचनाओं का उल्लघन करने की किसी अनुज्ञा के रूप में नहीं समझा जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notification

The 23rd Novermber, 2015

No. 16/42/2005-3 Env.— Whereas, article 48-A of the Constitution of India interalia envisages that the State shall endeavour to protect the environment;

And, whereas, it is necessary and expedient to take immediate steps under Sections 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986) and Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act 14 of 1981) and rules framed there under to maintain ecological balance in the State to prevent environmental degradation and to avoid traffic and human health hazards;

And, whereas, the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in view the industrial development and also to maintain the quality of environment and to avoid health hazard for the residents of the area;

And, whereas, as per Haryana Government, Environment Department, Notification No. 16/42/2005-Env.-III, dated the 4th October, 2007, directions were given for screening plant units in regard to siting criteria norms as per Schedule-I and emission norms and pollution control measures/ requirements as per Schedule-II.

And, whereas, the State Government has made amendments in the aforesaid Notification issued *vide* Notification No. S.O. 64/C.A.29/1986/S.5 and 7/2008, dated the 23rd July, 2008.

And, whereas, representations were received from Screening Plant Associations in the State to review the siting parameters norms.

And, whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to issue a fresh notification for issuing directions for screening plant unit with regard to siting criteria norms.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, Notification No. S.O. 152 (E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provisions of Section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Haryana Government, Environment Department, Notification No. 16/42/2005-Env.-III, dated the 4th October, 2007 and Notification No. S.O. 64/C.A.29/1986/S.5 and 7/2008, dated the 23rd July, 2008, the Governor of Haryana hereby proposes to issue the following directions for screening plant units with regard to siting criteria norms as per Schedule-I and emission norms and pollution control measure requirements as per Schedule-II.

And, whereas, in view of clause(a) of sub-rule (3) of rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, notice is hereby given that the draft of the notification shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of the publication, together with objections and suggestions, if any, which may be received in the office of the Principal Secretary to Government, Haryana, Environment Department, from any person with respect to the draft notification, before the expiry of the period so specified:-

Any action taken in pursuance of the superseded notifications referred to above shall be deemed to have been taken under the provisions of this notification so far as it is not inconsistent with the provisions of this notification.

SCHEDULE I

Norms for siting of screening plants in Haryana:--

Serial Number	Criteria	Distance in Kilometers
1	2	3
1.	Minimum distance required from the Nearest National Highway	0.25
2.	Minimum distance required from the Nearest State Highway	0.10
3.	Minimum distance required from the Nearest Metropolitan City	5.00
4.	Minimum distance required from the Municipal limits of any town	0.25
5.	Minimum distance required from the Nearest Town Abadi	0.50
6.	Minimum distance required from the Nearest Village Abadi	0.25
7.	Minimum distance required from the Nearest Tourist Complex	1.00
8.	Minimum distance required from any land recorded as forest in Government record (revenue or forest department) except strip forests/plantation along roads, canals, railway lines and bunds.	0.20

9.	Minimum distance required from approved water supply scheme open to sky of 20 KL capacity	0.25
10.	Minimum distance required from any indoor health treatment unit catering to 25 or more indoor patients	0.50
11.	Minimum distance required from notified Bird/Wild Life Sanctuaries/a National or State Wild Life Parks	0.20
12.	Minimum distance from river or water channel, Nullah, drain	0.10
13.	Minimum distance from any educational institution	0.50

The following directions are also given in respect of above said schedule.

Note:- (i) Distance shall be measured following the same principles and methodology as followed in measuring distances in Public Works Department, Building and Road Department or in the Revenue Department as per technical conditions and convenience.

(ii) No siting criteria shall be applicable with respect to distance from the Nearest Major District Roads and other roads subject to construction of wind braking wall of twelve feet height above the metalled surface alongwith the road side.

(iii) No Screening plant unit shall be allowed to operate which is not meeting siting norms as prescribed above. Such screening plant units which are within the prohibited limits of siting criteria shall shift to the areas conforming to prescribed siting distances.

(iv) No screening plant unit in Faridabad District shall be allowed to be set up outside the identified crushing zone in Faridabad District.

(v) The distance prescribed above at serial number 11 with respect to notified Bird/Wild Life sanctuaries/a National or State Wild Life Parks shall be applicable only in those cases where eco sensitive zone have yet not been declared or proposed by Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Government of India in such cases.

(vi) In case eco sensitive zone of protected area like national park, wild life sanctuary or conservation reserve is notified having restriction for a specified distance, then the same shall be adhered to.

(vii) The screening plants shall not operate any activity of stone crushing/ pulverizing/grinding in their plant.

(viii) In case of river, the distance shall be measured from the flood protection embankment on the outer side of the river. Where there is no flood protection embankment, the distance shall be measured from the outer edge of the "Gair Mumkin Land" as per revenue record, recorded as Gair Mumkin Nadi, Choe or similar nomenclature identifying a water body on the outer side of the choe/river.

(ix) The distance of the screening plant units from various prescribed locations shall be certified / verified by the concerned Tehsildar and for the forest land the report regarding the siting distance shall be taken from concerned Divisional Forest Officer. The concerned Regional Officer of the Board shall verify distances of the prescribed locations other than those verified by Divisional Forest Officer or Tehsildar.

SCHEDULE II

Emission norms and pollution control measures and requirements:-

Item No. I

(i) The screening plant units shall keep air emissions/noise levels and effluent discharge within the norms as prescribed under the Environmental (Protection) Act, 1986 and the rules framed thereunder.

Item No. II

The following pollution control devices are required to be installed and operated as a mandatory obligation by the screening plant units:-

(i) All screening plants shall construct a metalled road within the premises of the plant;

(ii) The screening plant units shall stack its raw/processed material only in the screening plant area which shall be properly identified and, preferably, enclosed by a wall.

(iii) Regular cleaning and wetting of the ground within the premises of the screening plant and the road leading to such screening plant for dust containment;

(iv) All screening plant units shall provide green belt along the periphery having avenue plantation of two rows after approval of plantation plan by the Divisional Forest Officer concerned. Till plantation within the premises is fully developed, the project proponent shall erect a barrier/ barricade along the periphery to contain the dust emissions. Such barricade shall completely enclose the premises from all sides either by a boundary wall or flexible cloth (tarpaulin etc.) or a combination of two. The height of the barricade shall not be less than the height of the highest tip of the conveyor belts.

(v) The silt generated by the screening plant shall be disposed of scientifically in the low lying areas and owner of screening plant shall make a proper plan for the same.

(vi) The screening plant units shall ensure that the material received for screening/processing comes from approved mining lease holders, where extraction has taken place as per a mining plan/scheme of mining or terms of reference of mining contract as applicable and duly approved by competent authority/Mines and Geology Department. The owner shall submit proof to this effect to the Haryana State Pollution Control Board at the time of applying for Consent to Establish/Consent to Operate.

(vii) The screening plants shall furnish to the Haryana State Pollution Control Board the complete data relating to the source and quantity of raw material legitimately utilized or exploited by the screening plant units and also its production data and taxes and duties paid as applicable thereon under the law of land;

(viii) Every screening plant, shall obtain consent to establish from the Haryana State Pollution Control Board and shall not operate without obtaining consent to operate from the Board.

(ix) In case of permanent closure of unit, the area shall be rehabilitated to its original position.

(x) The screening plant unit shall provide proper adequate pollution control measures before starting of production.

(xi) The screening plants shall provide structurally sound and adequate by sized settling tanks (3 No.) for settling of suspended solids in the effluents generated from the process and ensure recycling/reuse of the treated water upto ninety percent in the process.

(xii) The screening plants shall provide the adequate pollution control measure/devices based upon the environmentally sound technology including acoustic enclosures to meet the norms prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 for ambient air quality with respect to noise for the sensitive zones.

Item No. III

Every screening plant shall possess and operate in a minimum area of one acre of land (1.0 acre) owned by the screening plant owner or having a lease of minimum five years duly registered in his favour.

Item No. IV

(i) In case of any conflict between any existing statutory provision and any administrative orders issued by any authority including the Haryana State Pollution Control Board, the statutory provisions shall be applicable.

(ii) Irrespective of any other reason to the contrary, no screening plant unit would be allowed to operate in violation of any other applicable legal restrictions, statute and rules legislated as enforced or prescribed by the Competent Legislative Authority or the prescribing authority including the Town and Country Planning Department, Haryana, Mines and Geology Department, Haryana, Forest Department, Haryana or Central Ground Water Authority etc., whether in the past or in future. The issue of consent to establish certificate by the Haryana State Pollution Control Board shall not be treated as any permission to violate any such statutory legal notifications.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Environment Department.